फा.सं. एम-11011/1/2018-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय अंतरण प्रभाग)

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 27 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विज्ञान भवन में 30 जनवरी, 2018 को आयोजित "पंचायत वित्तों पर राज्य पंचायती राज मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन" की कार्यवाहियाँ

अधोहस्ताक्षरी को पंचायत वित्तों पर विज्ञान भवन में 30 जनवरी, 2018 को आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन की अनुमोदित कार्यवाहियों की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

इसे सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है

(आर. शिवकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार,
टैलीफैक्स: 011-23753812

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

सम्मेलन के सभी सहभागी

सूचनार्थ प्रति:

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के निजी सचिव
अपर सचिव (बीपी) के प्रधान निजी सचिव
अपर सचिव (एसपी) के प्रधान निजी सचिव
संयुक्त सचिव (एसकेपी) के निजी सचिव

"पंचायत वित्तों पर राज्य पंचायती राज मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन"

की

कार्यवाहियाँ''

30 जनवरी, 2018

सम्मेलन हॉल सं. 4, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

द्वारा आयोजित

"पंचायत वित्तों पर राज्य पंचायती राज मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन" की कार्यवाहियाँ

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पृष्ठभूमि	3-4
2.	उदघाटन सत्र	4-7
3	तकनीकी सत्र I - पंचायत वित्तों पर राज्य सरकारों का परिप्रेक्ष्य	7-11
4.	तकनीकी सत्र II -पंचायत वित्तों पर राज्य वित्त आयोगों का परिप्रेक्ष्य	11-15
5.	तकनीकी सत्र III - समापन सत्र	16-17
	अनुलग्नक I : सहभागियों की सूची	18-21
	अनुलग्नक II : कार्यक्रम	22-23

"पंचायत वित्तों पर राज्य पंचायती राज मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन" की कार्यवाहियाँ

1. पृष्ठभूमि

संविधान में भाग IX और IXA को समाविष्ट करते हुए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के पारित होने से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है और स्थानीय सरकारों को शक्तियों के अधिकाधिक अंतरण एवं प्रत्यायोजन के साथ संविधि पुस्तिका (law statute) में पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्व-शासन संस्थानों के रूप में की मान्यता दी गई है। संवैधानिक प्रावधान के तहत, राज्यों को प्राधिकृत किया गया है कि वे स्थानीय सरकारों को विशिष्ट जिम्मेदारियाँ, शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपें ताकि वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। राज्य ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों को कुछ करों, शुल्कों, चुंगी-कर और शुल्क आदि लगाने, उनकी उगाही करने की शक्ति दे सकते हैं और उन्हें कुछ शर्तों के अध्यधीन कतिपय राज्य स्तरीय करों के राजस्व में हिस्सेदारी दे सकते हैं तथा इन स्थानीय सरकारों को अनुदान सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

बढ़ी हुई कामकाजी जिम्मेदारियों के अंतरण के माध्यम से स्थानीय स्व-शासनों को सशक्त बनाने हेतु काफी उपायों के बावजूद, यह देखा गया है कि तथाकथित कामकाजी जिम्मेदारियों और वित्तीय स्वायत्तता के बीच अभी भी भारी विसंगति मौजूद है, जिससे स्थानीय स्तर पर गंभीर वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है। स्थानीय शासनों के अपने राजस्व पर्याप्त रूप से सृजित नहीं किए जाते हैं और इसलिए स्थानीय सरकारें अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उच्च स्तर की सरकारों पर निर्भर रहती हैं।

भारत सरकार ने 27 नवंबर, 2017 के जीओआई राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित संदर्भ के साथ पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) का गठन किया है (अधिसूचना से प्राप्त प्रतिलिपि)।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय अंतरण के मुद्दों और आरएलबी के निष्पादन में सुधार लाने की दिशा में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन में राज्य पंचायत मंत्रियों और राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के अध्यक्षों/सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में राज्य पंचायती राज मंत्रियों, राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों (वर्तमान या नवीनतम आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है), राज्यों के पंचायती राज विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विश्व बैंक एवं अन्य आमंत्रित विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। सम्मेलन के प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध I** में दी गई है।

सम्मेलन में विचार-विमर्श निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित था:

- ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) की वर्तमान कार्यात्मक/वित्तीय स्थिति और राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के कामकाज की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

- आरएलबी और एसएफसी के लिए पूर्ववर्ती यूएफसी एवं एसएफसी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

- ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा दिए गए अवार्ड (पंचाट) के परिणाम के आकलन पर चर्चा करना।

- आरएलबी द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) सृजन के उपायों पर चर्चा करना।

- आरएलबी वित्तों की दिशा में और राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के बेहतर कामकाज के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग को दिए जाने वाले उपयुक्त सुझाव प्राप्त करना।

सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उद्घाटन सत्र और तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे। सम्मेलन की अनुसूची **अनुबंध II** में दी गई है।

2. उद्घाटन सत्र

1. उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय कृषि, किसान कल्याण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला, भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा तेलंगाना के राज्य पंचायती राज मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति थी।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री जे. एस. माथुर ने स्वागत संबोधन में हाल के दिनों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा की गई विभिन्न प्रमुख पहलों, जैसे कि भारत में पीआरआई की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु आरजीएसए योजना के नवीनीकरण के बारे में, एफएफसी अनुदानों के संवितरण एवं उपयोग की सिफारिश और मॉनीटरिंग करने तथा एफएफसी निष्पादन अनुदान योजना को रूपरेखा देने के लिए एमओपीआर द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एफएफसी अनुदानों की निगरानी के लिए गठित कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) ने अपनी प्रारंभिक अध्ययन में यह उल्लेख किया है कि एफएफसी अनुदान लोगों को आधारभूत स्तर पर मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में एमओपीआर के प्रयासों के परिणामस्वरूप 2.44 लाख से अधिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार की गई हैं। इन योजनाओं को तैयार करने में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने तथा सेवाओं में गुणवत्ता सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन से जो सुझाव सामने आएंगे, वे पंचायत स्तर पर शासन द्वारा उचित प्रदायगी के लिए एक रोडमैप प्रदान करेंगे और अगले वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए उपयोगी इनपुट भी सृजित करेंगे।

3. पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. बाला प्रसाद ने पिछले वित्त आयोगों (12वें, 13वें और 14वें वित्त आयोग) द्वारा पीआरआई और एसएफसी के बारे में की गई सिफारिशों पर प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने पंचायतों को निधियों के अधिकतम संवितरण पर वर्तमान सरकार के फोकस के बारे में बताया और पीआरआई संस्थाओं को आवंटन 85% से बढ़ाकर 95% करने का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज मंत्रालय ने टीकाकरण और स्वच्छता के दो और घटकों के साथ एफएफसी निष्पादन अनुदान की योजना तैयार की है जो सरकार की केंद्रित प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने एफएफसी अनुदानों को जारी करने से संबंधित प्रमुख मुद्दों/चुनौतियों और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए एमओपीआर के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला।

4. माननीय कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज राज्य मंत्री, श्री परशोत्तम रुपाला ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विभिन्न पंचायत स्तरों पर अपने कार्य अनुभव के बारे में बताया और बापू की पुस्तक "हिंद ग्राम स्वराज" के संबंधित संदर्भ भी उद्धृत किए। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग की निधियां सीधे ग्राम पंचायतों तक पहुंचने के कारण, कई विकास गतिविधियां चल रही हैं और पंचायत प्रधानों को विधानमंडलों तथा संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भी महत्व दिया जा रहा है। तथापि, उन्होंने इन स्तरों पर एफएफसी निधियों की अनुपलब्धता के मुद्दे पर जिला पंचायत और माध्यमिक पंचायत प्रतिनिधियों की चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद सदस्यों एवं विधानमंडलों को उनके क्षेत्रों में विकास गतिविधियां चलाने के लिए दी जाने वाली विकास निधि के समान, जिला/माध्यमिक स्तर की पंचायतों के प्रधानों के लिए भी निधि आवंटन करने पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) पर फोकस से बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता की समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएं अभी भी जारी हैं, जो निधियों की कमी के कारण हो सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज मंत्रालय एक ऐसी योजना तैयार करे जहाँ ब्लॉक पंचायतें तकनीकी-व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों के साथ क्लस्टर स्तरों पर अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे को हल करने की अगुवाई कर सकती हैं।

5. माननीय केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं खान मंत्री, भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन के प्रारंभ में पंचायतों के महत्व और जीवंत लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस संबंध में, उनके संबोधन को यहां शब्दशः उद्धृत किया जा रहा है, *"भारत की आत्मा गांवों में बसती है और समग्र राजतंत्र की जवाबदेही स्थानीय संस्थाओं से शुरु होती है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत है"; "लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला ग्राम पंचायत है, जो देश की नींव है। नींव मजबूत होगी तभी उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा तभी देश मजबूत होगा।"* उन्होंने राज्य सरकारों से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया कि क्या पंचायतों के निचले स्तरों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए उचित शक्तियां और निधियां अंतरित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी आत्मनिरीक्षण करने को कहा कि क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त और उचित रूप से मजबूत करने में सफल रहे हैं ताकि वे अपनी पंचायतों के साथ-साथ देश के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी ऐसे सवालों के जवाब समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने की उम्मीद करेगी और अच्छे परिणाम हासिल करेगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग अनुदान के आवंटन में तीन गुना वृद्धि प्रदान करने में माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को दोहराया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुसार विकास गतिविधियों के लिए उनके हाथ में अनाबद्ध निधियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे उजागर किए और प्रतिभागियों से सुझाव देने को कहा कि चौदहवें वित्त आयोग अनुदान ने ग्राम पंचायत स्तर पर जीवन की बेहतरी लाने में कैसे प्रभाव डाला और अगले वित्त आयोग से राज्यों की क्या अपेक्षाएं हैं। उन्होंने एमओपीआर के प्रयासों की भी सराहना की, जिसने 2.44 लाख से अधिक जीपीडीपी तैयार कीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब उचित प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का पालन करके इन जीपीडीपी के कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने निधियों से निर्मित विभिन्न बुनियादी ढांचे के रखरखाव की आवश्यकता के महत्व और उपयोगकर्ताओं को ऐसी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता द्वारा कुछ शुल्क का योगदान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य देश में आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनाना होगा। यह बताते हुए कि सरकार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि इस दिशा में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने अंत्योदय योजना का उल्लेख करते हुए इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिसमें 50,000 से अधिक गांवों और इसके 5000 समूहों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2018 तक प्रारंभिक परिणाम प्राप्त करने के लिए 115 आकांक्षी जिलों में समयबद्ध तरीके से समग्र सुधार के लिए हाल ही में कार्य शुरु किया गया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त करते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि सम्मेलन में कई मूल्यवान सुझाव प्राप्त होंगे, जिन्हें मंत्रालय के साथ-साथ पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।

6. उद्घाटन सत्र पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री संजीब पाटजोशी द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ।

3. तकनीकी सत्र I - पंचायत वित्तों पर राज्य सरकारों का परिप्रेक्ष्य

1. "पंचायत वित्तों पर राज्य सरकारों का परिप्रेक्ष्य" विषय पर तकनीकी सत्र I की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। सत्र के दौरान अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के राज्य पंचायती राज मंत्रियों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

2. उत्तराखंड राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री अरविंद पांडे ने ग्राम पंचायतों को सीधे निधियां हस्तांतरित करके उन्हें सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल की सराहना की। हालाँकि, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य अपने आप में अद्वितीय हैं क्योंकि पहाड़ी जिलों में ग्राम पंचायतें विशाल क्षेत्रों में स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक में कम आबादी है: इसलिए आवंटन, जो मुख्य रूप से जनसंख्या पर आधारित हैं, राज्य में स्थित ग्राम पंचायतों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं। राज्य सरकार ने इन ग्राम पंचायतों में सड़क संपर्क के लिए बारहमासी सड़कों जैसी कई पहलें की हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि 15वें वित्त आयोग को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के ग्रामीण निकायों की आवश्यकता के लिए अलग से पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि

जहाँ वित्त आयोग की निधि ने ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया है, वहां ऐसी निधियों पर सीधे नियंत्रण से प्रधानों और पंचायत सचिवों को अपार शक्तियां भी प्रदान हुई हैं। आगे के समय में ऐसी निधियों के उपयोग में संभावित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशिष्ट नियंत्रण एवं उपायों और निगरानी तंत्र का प्रावधान/शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने व्यय के लिए निगरानी तंत्र का भी सुझाव दिया जिसे केंद्र द्वारा विकसित किया जाना चाहिए।

3. अरुणाचल प्रदेश राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री अलोलिबांग ने कहा कि उनके राज्य में भी बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक में कम आबादी है और ये क्षेत्र एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा के पहलू से खास मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद (जेडपी) और ब्लॉक परिषद (बीपी), जिन्हें पहले 13वें वित्त आयोग की निधियां मिलती थीं, एफएफसी द्वारा ऐसी निधियां आवंटित नहीं किए जाने के कारण वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जिला परिषदों/बीपी को कुछ निधियां प्रदान कर रही है, हालांकि इन स्तरों पर केंद्र से अतिरिक्त सहायता की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि आरजीपीएसए और बीआरजीएफ योजनाओं के तहत समर्थन वापस लेने से राज्य में पीआरआई के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और राज्य में कई ग्राम पंचायतों के पास अभी तक अपने स्वयं के भवनों की सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पहाड़ी इलाका राज्य में एक चुनौती है, इसलिए पीआरआई के लिए अलग प्रावधान किए जाने चाहिए। अत:, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अलावा, भू-स्थलाकृति को भी पंचायतों की हिस्सेदारी तय करते हुए ध्यान में रखा जाए।

4. श्री एस. पी. वेलुमणि, तमिलनाडु राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री ने अपने भाषण में राज्य को इस संबंध में किए गए अनुरोध के तुरंत बाद वित्त आयोग और पीएमजीएसवाई II निधियां जारी करने के लिए माननीय एमपीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रगतिशील संस्थान बन गए हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। 5वें राज्य वित्त आयोग ने आरएलबी को न्यूनतम एकमुश्त अनुदान के साथ स्थानीय राजस्व का 52% अंतरित करने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को 7 लाख रुपये देने की सिफारिश की है। राज्य ने 14वें वित्त आयोग के अनुदान को मनरेगा निधि के साथ जोड़कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) प्रणाली भी लागू की है। 15वें वित्त आयोग को दिए जाने वाले सुझावों के संबंध में, वह चाहते थे कि अधिशेष का कम से कम 50% राज्यों को अंतरित किया जाना चाहिए।

5. तेलंगाना राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री जुपल्ली कृष्णा रायओ ने कहा कि निधियों की कमी के कारण पीआरआई संस्थाएं अपने कार्यों को पूरी तरह से निष्पादित करने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य की पंचायतें कर संग्रह में 89% की सफलता दर हासिल करने में सफल रही हैं और वे चालू वर्ष में 100% कर संग्रह हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि 15वां वित्त आयोग को चाहिए कि वह पंचायतों की बढ़ती आकांक्षाओं और बढ़ती लागत की पूर्ति करने के लिए पंचायतों को निधि का आवंटन दोगुना करे। उन्होंने बताया कि पहले जिला परिषद/बीपी को बीआरजीएफ का लाभ मिलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है. इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 15वें वित्त आयोग को उनकी आवश्यकताओं के लिए भी निधियां उपलब्ध करानी चाहिए। वह यह भी चाहते थे कि कंप्यूटरीकरण और सीसी सड़कों, जल निकासी आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए

निधियां अलग से निमित्त की जाएं। उन्होंने अनुमेय कार्यों और कार्यों के कार्यान्वयन के स्तर को निर्धारित करने में राज्यों को उदारता प्रदान करने की भी बात रखी। 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के तहत निष्पादन अनुदान की मात्रा भी बढ़ाई जाए।

6. बिहार राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री कपिल देव कामत ने कहा कि राज्य ने मुख्यमंत्री योजनाओं के तहत जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क संपर्क आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरु की हैं। उन्होंने कहा कि पीआरआई के सभी तीन स्तरों को ग्रामीण भारत के विकास में भाग लेने की जरूरत है। इसलिए, जिला परिषदों और बीपी को निधियों का आवंटन किया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों और आवश्यक लेखापरीक्षों कर्मियों की नियुक्ति उपरांत भुगतान के लिए राज्य को अतिरिक्त निधियों का आवंटन करने की भी बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य को अधिकाधिक अनाबद्ध निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि राज्य ग्रामीण समुदायों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर ऐसी निधियों का उपयोग कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार राज्य को निष्पादन अनुदान नहीं मिल रहा है और ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा कराने में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य को देय निष्पादन अनुदान एक विशेष मामले के रूप में अंतरिम रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

7. मध्य प्रदेश राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सुझाव दिया कि पिछड़ी पंचायतों को निधियों की उच्च हिस्सेदारी देने हेतु पंचायतों की पहचान करने और उन्हें निधियां आवंटित करने के लिए विकास सूचकांक तैयार किया जाए, क्योंकि 14 वें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए मुख्य रूप से जनसंख्या आधारित मानदंड ने उन पंचायतों को वंचित कर दिया है जिनकी जनसंख्या कम है। उन्होंने जिला परिषदों/बीपी के लिए वित्त आयोग निधि की बहाली की भी वकालत की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 15वां वित्त आयोग निगरानी, एमआईएस और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य स्तर पर कुछ निधियां प्रदान करे। उन्होंने यह भी बताया कि म.प्र ने एक ऑनलाइन प्रणाली बनाई है जिसमें पंचायतों के निष्पादन के बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित की जाती है जो पारदर्शिता और जवाबदेही में सहायता करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी इस प्रणाली को अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण करने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा उसे एक बेंचमार्क बनाया जा सकता है।

8. हरियाणा राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने श्रोताओं को राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए विकसित सात स्टार रेटिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सात स्टार रेटिंग प्रणाली का विवरण इस प्रकार बताया:

    - जिन पंचायतों का लिंगानुपात में निष्पादन अच्छा रहेगा, उन्हें गुलाबी रंग का पुरस्कार मिलेगा।
    - सफेद रंग का पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है, जो स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करती है और अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखती है।

- हरा रंग उस ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है, जो स्वस्थ वातावरण में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करती है।
- अपराध मुक्त ग्राम पंचायत को भगवा रंग का पुरस्कार दिया जाएगा।
- आसमानी रंग का पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो और जिस गांव में कोई ड्रॉपआउट का मामला न हो।
- सुनहरा रंग का पुरस्कार हरियाणा राज्य पंचायत योजना के तहत सुशासन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत को दिया जाता है।
- सिल्वर रंग का पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है जिसकी विकास गतिविधियों में गांव के लोगों की अधिकतम भागीदारी होती है।

राज्य ने व्यवस्थित तरीके से ग्राम पंचायतों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरु की है और चयनित पंचायतों को हरियाणा राज्य पंचायत योजना के तहत अनुदान और पुरस्कार प्राप्त होंगे।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पीआरआई के सभी तीन स्तरों को निधियां आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि परिकलन सूत्र के बावजूद, मूलभंत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक पीआरआई को कुछ न्यूनतम निधि का आवंटन किया जाना चाहिए। पीआरआई को आवंटित निधियों के लिए वर्षवार क्षेत्रीय लक्ष्यों की भी पहचान की जाए क्योंकि इससे निधियों के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कई योजनाओं के अंतर्गत कम वित्तीय संसाधनों से वांछित प्रभाव प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

9. उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने भी पीआरआई के सभी तीन स्तरों को निधियां आवंटित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि वित्त आयोग की निधियों में राज्य की हिस्सेदारी के परिकलन के लिए आय-अंतराल, पिछड़ापन सूचकांक, कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या कारकों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने पंचायत भवनों के विकास/निर्माण, ग्राम पंचायत स्तर पर जनशक्ति और कार्यालय बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए ज्यादा निधियों का अनुरोध किया। उन्होंने पीएफएमएस जैसी स्वचालित निधि प्रबंधन प्रणालियों का सुझाव दिया, ताकि निधियों की प्राप्ति और व्यय की निगरानी रियल टाइम आधार पर की जा सके।

10. गुजरात राज्य के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री जयद्रथसिंहजी परमार ने बताया कि गुजरात राज्य ने पहले ही संविधान में सूचीबद्ध अधिकांश कार्यों को ग्राम पंचायतों को सौंप दिया है, अत: राज्य पीआरआई संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत ही समर्थनकारी एवं सुविधाकारी भूमिका निभा रहा है। गुजरात सरकार ने पंचायत विभाग से संबंधित प्रथम और द्वितीय राज्य वित्त आयोगों की अधिकांश सिफारिशों को भी स्वीकार किया है। तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि चौदहवें वित्त आयोग की निधियों से पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी और सड़क मरम्मत आदि क्षेत्रों के तहत प्रमुख कार्य किए गए हैं। उन्होंने पंचायतों के

लिए एफएफसी निष्पादन अनुदान स्कीम में ओडीएफ और टीकाकरण कारकों की शुरुआत करने की सराहना की। उन्होंने पीआरआई संस्थाओं के तीनों स्तरों को निधियां आवंटित करने का भी अनुरोध किया ताकि सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त किया जा सके। उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य, कृषि और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने और पंचायत प्रणाली को ज्यादा निधि एवं शक्ति प्रत्यायोजन प्रदान करने की वकालत की।

11. सत्र अध्यक्ष और वक्ताओं को धन्यवाद संबोधन के साथ समाप्त हुआ।

4. तकनीकी सत्र II-पंचायत वित्तों पर राज्य वित्त आयोगों के परिप्रेक्ष्य

1. "पंचायत वित्तों पर राज्य वित्त आयोगों के परिप्रेक्ष्य" पर तकनीकी सत्र II की अध्यक्षता एमओपीआर के अपर सचिव डॉ. बाला प्रसाद ने की। उन्होंने राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के अध्यक्षों/सदस्यों से सम्मेलन के मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

2. श्री सी. जी. चिन्नास्वामी, अध्यक्ष, चतुर्थ एसएफसी, कर्नाटक ने अपने भाषण में कहा कि संविधान के 73वें संशोधन के साथ आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पीआरआई को राज्य सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे एसएफसी द्वारा निधियों के अंतरण का प्रतिशत क्रमशः 30%, 32% और 32% था। चौथा एसएफसी भी वैश्विक साझाकरण प्रणाली के बजाय कर आधारित प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। राज्य में पीआरआई से जुड़ी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है और सभी सौंपे गई निश्चित भूमिकाओं के साथ सभी कार्य पीआरआई को हस्तांतरित किए गए हैं। चौथे एसएफसी ने यूएलबी/आरएलबी से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का एक ऑनलाइन अनुप्रयोग विकसित किया है। यह पाया गया है कि प्रश्नावली पर आरएलबी की तुलना में यूएलबी ज्यादा संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त करने की प्रणाली अन्य लोगों द्वारा भी अपनाए जाने की प्रथा बन जाएगी। उन्होंने पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए:

    - माध्यमिक और जिला स्तर पर भी पंचायतों के लिए अनुदान की सिफारिश की जानी चाहिए।
    - सड़कों के कंक्रीटीकरण के लिए भी निधियों के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. तमिलनाडु के 5वें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अध्यक्ष श्री एस. कृष्णन ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार ने 5वें एसएफसी की कुल 161 सिफारिशों में से 144 को स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु वित्तीय अंतरण के आधार पर दूसरे स्थान पर और कार्यात्मक अंतरण के मामले में 11वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्राम पंचायतों (वीपी) के लिए योजना प्राप्तियां 53.57% से 67.38% के बीच हैं और प्रति वीपी कुल प्राप्तियां 44.89 लाख रुपये और 76.47 लाख रुपये के बीच हैं। उन्होंने नीचे दी गई आरएलबी पर एसएफसी की कुछ प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताया:

    ✓ केंद्र सरकार की संपत्तियों पर सेवा शुल्क लगाना।

- ✓ व्यवसाय कर पर संवैधानिक अधिकतम सीमा को हटाने और संसद को विधि द्वारा अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की अनुमति देने के लिए 14वें सीएफसी की सिफारिश का समर्थन किया जाता है।

- ✓ स्थानीय निकायों को ऐसे विज्ञापन हटाने का अधिकार दिया जा सकता है जिन्होंने अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं की है।

- ✓ वीपी को जल शुल्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- ✓ अनुबंध/करार, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि पर स्टांप शुल्क पर अधिभार लगाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों के साथ साझा किए जाने वाले लघु खनिजों से प्राप्त राजस्व का अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए।

- ✓ रेत उत्खनन से प्राप्त राजस्व का 60 प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

- ✓ लघु खनिज आधारित राजस्व में स्थानीय निकाय का हिस्सा निम्नलिखित अनुपात में संवितरित किया जाना चाहिए: 75 प्रतिशत स्थानीय निकाय को जहाँ खदान स्थित है और 25 प्रतिशत जिला कलेक्टर द्वारा उत्खनन से प्रभावित पड़ोसी स्थानीय निकायों को वितरित किया जाना चाहिए।

- ✓ राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) के 10 प्रतिशत के मौजूदा समग्र ऊर्ध्वाधर अंतरण अनुपात को अवार्ड अवधि के लिए बरकरार रखा जाएगा।

- ✓ आरएलबी के विभिन्न स्तरों के बीच वितरण प्रतिशत क्रमशः 8%, 37% और 55% रखा जाए।

4. डॉ. ज्योति किरण, अध्यक्ष, 5वां राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), राजस्थान ने अपनी प्रस्तुति में 5वीं एसएफसी अंतरिम रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के बारे में विस्तार से बताया:

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 7.18% की वैश्विक हिस्सेदारी की सिफारिश की गई।

- पीआरआई को निधियों के जिलेवार वितरण के लिए अन्य मानदंडों के साथ अंगीकृत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के 7 मापदंडों के आधार पर अभावग्रस्तता का पता लगाया जाए।

- चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के अनुदान भी उपरोक्त मापदंडों पर ग्राम पंचायतों को वितरित किए जाएं।

- मूलभूत और विकास कार्यों के अलावा, डेटा बेस के रखरखाव, ई-गवर्नेंस और आईटी के उपयोग, राजस्व जुटाने के प्रयासों - क्षमता निर्माण, लिंग संवेदीकरण, पेयजल व्यवस्था, जल संचयन और वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, ओडीएफ, सोलर/एलईडी लाइटों के उपयोग जैसी गतिविधियां के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई जाएं।

- एफएफसी अनुदान नहीं मिलने की भरपाई के लिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों की हिस्सेदारी क्रमशः 3 से 5% और 12 से 20% तक बढ़ाया जाए।

- ग्राम पंचायतों को एसएफसी निधि की अगली किस्त का दावा करने के लिए न्यूनतम 60% व्यय की आवश्यकता निर्धारित की जाए।

- बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया/मल्टीमीडिया का प्रभावी उपयोग किया जाए।

उन्होंने पीआरआई के बेहतर कामकाज के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता, अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा सृजित करने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल इको-सिस्टम का निर्माण, आदर्श आवश्यकताओं और वास्तविक व्यय का व्यापक विश्लेषण, नवोन्वेषी अंतरण पद्धति, निष्पादन को प्रोत्साहित करना और अभावग्रस्तता का लेखा-जोखा, सोशल मीडिया/मल्टीमीडिया का प्रभावी उपयोग, ग्रामीण -शहरी मानदंड का पुनरावलोकन करना, ग्रामीण-शहरी संतुलन बनाने के लिए आवंटन, वित्तीय आवंटन और अन्य मापदंडों के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों को अपनाना, स्थानीय शासन प्रणाली को मजबूत करना, लेखांकन और लेखा परीक्षा की आवश्यकता को प्राथमिकता देना तथा दक्षतापूर्ण कामकाज के लिए जनशक्ति का अभाव शामिल है।

डॉ. ज्योति किरण द्वारा 15वें वित्त आयोग के विचार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

- निधियों के आवंटन में भौगोलिक क्षेत्र को अधिक महत्व देने की आवश्यकता।

- स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करना और उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उनका व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है जिसके लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

- ग्राम पंचायत स्तर पर निधियो के समुचित उपयोग एवं उसके लेखांकन के लिए तकनीकी एवं लेखा सहायता प्रणाली की आवश्यकता।

- डेटाबेस के रखरखाव के लिए आईटी समर्थित एमआईएस के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ग्राम सेवक/ पंचायत सचिव की कमी के कारण परिचालन में बाधा आती है जिनके समाधान के लिए नवोन्मेषी समाधान की आवश्यकता है।

- स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और रखरखाव की दिशा में उपयोग के लिए पंचायतों को अधिक निधियां दिए जाने की आवश्यकता है।

- लोगों के प्रवासन के कारण बढ़ते शहरीकरण के साथ, शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है; इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों को अक्षुण्ण रखने के लिए अधिक अंतरण की आवश्यकता है।

- पिछड़ेपन में सुधार के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता।

- राज्य में एसएफसी के एक स्थायी प्रकोष्ठ/कार्यालय के वित्तपोषण की आवश्यकता।

5. श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, 5वां राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश ने बताया कि राज्य के चौथे एसएफसी ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो सरकार के विचाराधीन है और 5वें एसएफसी का गठन भी कर दिया गया है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के विचार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए:

- राज्य/पंचायतों का हिस्सा बढ़ाया जाए।

- पंचायतों द्वारा कर लगाने की आवश्यकता है जिसकी उचित वसूली की निगरानी इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारी द्वारा की जाए।

- पीआरआई को निधियां अंतरित करते हुए एससी/एसटी आबादी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- निर्वाचित प्रतिनिधियों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि क्षमता निर्माण के माध्यम से भी सशक्त किया जाना चाहिए।

- धन के दुरुपयोग/दुर्वियोजन की निगरानी की जानी चाहिए।

6. उत्तर प्रदेश राज्य के 5वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य श्री जगदेव सिंह ने बताया कि राज्य के पांचवें एसएफसी का गठन किया जा चुका है जिसकी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। चतुर्थ एसएफसी की 63 अनुशंसाओं में से 37 को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अंतरण के लिए सिफारिशें करने हेतु चतुर्थ एसएफसी द्वारा एससी/एसटी आबादी के कारक पर भी विचार किया गया था। चतुर्थ एसएफसी द्वारा अनुशंसित निधियों के वितरण का अनुपात डीपी: आईपी: जीपी के लिए 20:10:70 था; किंतु, राज्य सरकार ने 40:10:50 का अनुपात अनुमोदित किया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार हेतु राज्य वित्त आयोगों की डेटा और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की निरंतरता कायम रखने की आवश्यकता का सुझाव दिया। उन्होंने कई ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं कर पाने के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता की भी बात की।

7. उत्तराखंड राज्य के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री बी. के. जोशी ने बताया कि एसएफसी ने मई, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने एसएफसी द्वारा यथा प्रेक्षित निम्नलिखित मुद्दों पर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार करने का सुझाव दिया:

- देश में बड़ी संख्या में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी जनसंख्या पहाड़ी राज्यों में शहरी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, निधियों के वितरण का फॉर्मूला तैयार करते हुए जनसंख्या और अन्य जनसांख्यिकीय/स्थलाकृतिक कारकों में भिन्नता को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

- पंचायतों में कराधान की अनुपस्थिति के मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके संग्रहण के लिए उचित उपायों के साथ कर भी लगाए जाने चाहिए।

- माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों को वित्तीय तथा क्षमता के हिसाब से मजबूत करने की जरूरत है।

- विकास गतिविधियों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से शामिल हों।

- योजना प्रक्रिया को मजबूत करने के साथ-साथ पारदर्शिता के लिए संरचनाओं हेतु निधियां अंतरित की जानी चाहिए।

8. श्रीमती रोहिणीअग्रवाल, हरियाणा राज्य 5वां वित्त आयोग की सदस्य ने यह भी बताया कि राज्य सरकार को सौंपी गई एसएफसी की रिपोर्ट विचाराधीन है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव दिये:

- एसएफसी के कामकाज को जारी रखने के लिए सार्वजनिक योजना संस्थानों की स्थापना के लिए निश्चित निधियों की राशि का अंतरण किया जाए।

- पीआरआई के कौशलों को विकसित करने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों की भूमिका सौंपी गई है।

तकनीकी सत्र II अध्यक्ष और वक्ताओं को धन्यवाद संबोधन के साथ समाप्त हुआ।

1. तकनीकी सत्र III - समापन सत्र

तकनीकी सत्र III के समापन कार्यक्रम में, अतिरिक्त सचिव (एमओपीआर) डॉ. बाला प्रसाद ने उद्घाटन सत्र और तकनीकी सत्र I एवं II के विचार-विमर्शों का सारांश प्रस्तुत किया। सत्र के दौरान भारत सरकार के माननीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास और खान मंत्री के नेतृत्व में सम्मेलन के प्रतिभागियों द्वारा सचिव, एमओपीआर को उनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक विदाई दी और उनका अभिनंदन भी किया। संयुक्त सचिव संजीब पटजोशी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में प्रतिभागियों से 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश करने हेतु अतिरिक्त सुझाव मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया।

सम्मेलन से उभरकर आए प्रमुख मुद्दों का सारांश, जिन पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है, इस प्रकार हैं:

- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमालयी (पहाड़ी) राज्यों के लिए अलग से आवंटन।

- जिला पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों के लिए निधियों को बहाल किया जाए, जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग के अवार्ड में किया गया था।

- अंतरण मानदंड में क्षेत्र/स्थलाकृति के लिए 10% से अधिक का भारांक प्रदान किया जाए।

- राज्य को अधिकाधिक अनाबद्ध निधियों की आवश्यकता है। राज्यों को विभाज्य पूल का अंतरण न्यूनतम 50% होना चाहिए।
- निधियों के वितरण के लिए केवल व्यापक फ्रेमवर्क का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि विशिष्ट मानदंडों का।
- सीसी सड़कों, साइड नालियों आदि जैसे अनुमेय कार्यों के निर्धारण में राज्यों को उदारता दी जानी चाहिए।
- राज्यों को निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और जरूरतमंद क्षेत्रों की मदद करने के लिए अपने विवेक पर कुछ प्रतिशत (लगभग 5%) निधियां रखने की अनुमति दी जाए।
- सामाजिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और रखरखाव तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों को शुरु करने के लिए निधियों का प्रावधान।
- ग्राम पंचायतों के स्तर पर तकनीकी एवं लेखा प्रणाली को मजबूत किया जाए।
- स्थानीय शासन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर विचार किया जाए।
- योजना प्रणाली और संरचनाओं के लिए राज्यों हेतु निधियों का प्रावधान (राज्य तय करेगा कि किस स्तर पर संरचना निर्मित की जाएगी)।
- योजना, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक थिंक-टैंक इकाई (एक सार्वजनिक नीति संस्थान) की आवश्यकता।
- ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों के व्यय की निगरानी।

सम्मेलन इस आश्वासन के साथ समाप्त हुआ कि उपरोक्त सभी सुझावों पर मंत्रालय द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

****

अनुलग्नक 1

पंचायतों के वित्तों पर राज्य पंचायती राज मंत्रालयों एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों का विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30.01.2018 को आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के लिए प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय
I.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचाचती राज एवं खान मंत्री	भारत सरकार
2.	श्री परशोत्तम रूपाला, माननीय पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	भारत सरकार
3.	श्री अरविन्द पांडे, पंचायती राज मंत्री	उत्तराखंड सरकार
4.	श्री अलोलिबांग, पंचायती राज मंत्री	अरूणाचल प्रदेश सरकार
5.	श्री कपिल देव कामत, पंचायती राज मंत्री	बिहार सरकार
6.	श्री जयद्रथसिंहजी परमार, पंचायती राज मंत्री	गुजरात सरकार
7.	श्री एस पी वेलुमणि, पंचायती राज मंत्री	तमिलनाडु सरकार
8.	श्री गोपाल भार्गव, पंचायती राज मंत्री	मध्य प्रदेश सरकार
9.	श्री भूपेन्द्र सिंह, पंचायती राज मंत्री	उत्तर प्रदेश सरकार
10.	श्री जुपल्ली कृष्ण राव, पंचायती राज मंत्री	तेलंगाना सरकार
11.	श्री ओम प्रकाश धनखड़, पंचायती राज मंत्री	हरियाणा सरकार
12.	श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष	राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश
13.	डॉ. ज्योति किरण, अध्यक्षा	राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
14.	श्री सी जी चिन्नास्वामी, अध्यक्ष	राज्य वित्त आयोग, कर्नाटक
15.	श्री बी के जोशी, अध्यक्ष	राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड
16.	श्री एस. कृष्णन, अध्यक्ष	राज्य वित्त आयोग, तमिलनाडु
17.	श्री जगदेव सिंह, सदस्य	राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश
18.	श्रीमती रोहिणी अग्रवाल, सदस्य	राज्य वित्त आयोग, हरियाणा
19.	श्री जीतेन्द्र शंकर माथुर, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
20.	डॉ. बाला प्रसाद, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
21.	श्रीमती सुजाता शर्मा, आर्थिक सलाहकार	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली

22.	श्री संजीब पाटजोशी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
23.	श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी, निदेशक	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
24.	श्री शिव शंकर प्रसाद, निदेशक	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
25.	श्री देबासिस पाल, निदेशक	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
26.	श्री आर. शिवकुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
27.	श्री संजय कुमार उपाध्याय, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
28.	श्री अविनाश चंदर, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
29.	श्री एनपी टोप्पा, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
30.	श्री बासुदेब दास, उप निदेशक	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
31.	श्री वैभव शर्मा	सोशल मीडिया टीम, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
32.	श्री वी एन आलोक, एसोसिएट प्रोफेसर	आईआईपीए, नई दिल्ली
33.	श्री के लालमिंगलियाना, संयुक्त सचिव	स्थानीय प्रशासन विभाग, मिजोरम
34.	श्री सी जी सुप्रसन्ना, अतिरिक्त सचिव	राज्य वित्त आयोग, कर्नाटक
35.	श्री राज गोपाल, प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, गुजरात
36.	श्री सिबिन सी, विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, पंजाब
37.	श्री इंदू शेखर	राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
38.	श्री रोहित कुमार, सचिव	पंचायती राज विभाग, राजस्थान
39.	सुश्री दीपिका लोहिया अरान, निदेशक	नीति आयोग, नई दिल्ली
40.	डॉ. बी. एम. पांडा	नीति आयोग, नई दिल्ली
41.	श्री आर जे हलानी, अपर विकास आयुक्त	पंचायती राज विभाग, गुजरात
42.	सुश्री फराह ज़हीर, वरिष्ठ अर्थशास्त्री	विश्व बैंक, नई दिल्ली
43.	श्री पेड्रो अरिज़्टी, वरिष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र विशेषज्ञ	विश्व बैंक, नई दिल्ली
44.	सुश्री रिनचिन ताशी, सचिव	पंचायती राज विभाग, अरूणाचल प्रदेश
45.	श्री बी अशोक, सचिव	स्थानीय स्व शासन विभाग, केरल
46.	श्री जगदेव सिंह, सदस्य	राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश

47.	सुश्री रोहिणी अग्रवाल, सदस्य	राज्य वित्त आयोग, हरियाणा
48.	श्री एस. सी. डेराश्री, सदस्य सचिव	राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
49.	श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव	राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
50.	श्री वी शिवशंकर प्रसाद, उपायुक्त	प्रचायती राज विभाग, आंध्र प्रदेश
51.	डॉ नागाम्बिका देवी, प्रधान सचिव	पंचायती राज विभाग, कर्नाटक
52.	श्रीशमीम उद्दीन, निदेशक	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
53.	श्री एस कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ वित्त प्रबंधन विशेषज्ञ	विश्व बैंक, नई दिल्ली
54.	श्री संग ड्रेमा	ग्रामीण विकास विभाग, अरूणाचल प्रदेश
55.	श्री उमाकांत, ओएसडी	मिजोरम सरकार
56.	श्री पार्थठाक्कुर	पंचायती राज मंत्री कार्यालय, गुजरात
57.	श्री एम. एन. धकाल, निदेशक	पंचायती राज विभाग, सिक्किम
58.	सुश्री सी. पी. लाडिंग्पा, अपर सचिव	पंचायती राज विभाग, सिक्किम
59.	श्री विकास राज, प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, तेलंगाना
60.	डॉ. जे. बी. इक्का, आयुक्त एवं सचिव	पंचायती राज विभाग, असम
61.	श्री एम सुधाकरराव	आयुक्त कार्यालय, पंचायती राज, आंध प्रदेश
62.	श्री रीतेश शर्मा, राज्य सलाहकार	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
63.	श्री संजय कुमार बरनवाल, उपनिदेशक	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
64.	श्री एच सी सेमवाल, अपर सचिव/निदेशक	पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड
65.	श्री डी पी पेवरारी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड
66.	श्री बीरेंद्र भूषण, निदेशक	पंचायती राज विभाग, झारखंड
67.	श्री नारायण बी रिंगणे, उप सचिव	पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र
68.	श्री मनोहर सिंह, अपर निदेशक	पंचायती राज विभाग, तमिलनाडु
69.	श्री मनीष पांडे	पंचायती राज मंत्री कार्यालय, उत्तराखंड
70.	श्री नरेन्द्र तिवारी, ओएसडी	पंचायती राज मंत्री कार्यालय, उत्तराखंड
71.	श्री एस रामास्वामी, संयुक्त निदेशक	पंचायती राज मंत्री कार्यालय, तमिलनाडु

72.	श्री एम. कथिरावन, पी. एस	पंचायती राज मंत्रालय मंत्री कार्यालय, तमिलनाडु
73.	श्री समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली
74.	श्री प्रदीप परिदा, प्रोफेसर	आईआईपीए
75.	श्री चंचल कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
76.	श्री वीरेन्द्र सिंह	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
77.	श्री रामावतार शर्मा, वित्तीय सलाहकार	पंचायती राज विभाग, राजस्थान
78.	श्री दिलीप कुमार	नई दिल्ली
79.	श्री एच सी तिवारी	नई दिल्ली
80.	श्री राजीव गोयल	एनआईसी, नई दिल्ली
81.	श्री ए एम एम जाकिर, निदेशक	एसआईपीआरडी, असम
82.	श्री रोबिन्द्रो	पंचायती राज विभाग, मणिपुर
83.	श्री चमन गौतम	आंध्रा ज्योति, नई दिल्ली
84.	श्री विनोद यादव	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
85.	श्री उमाशंकर शुक्ल	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
86.	श्री नितिन जैन	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
87.	श्री जी.एस. कृष्णन, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
88.	श्री अमित गोयल, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
89.	श्री मयंक खरबंदा, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
90.	श्री मनोज शर्मा, रिसर्च एसोसिएट	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
91.	डॉ. तौकीर खान, सलाहकार	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
92.	श्री गिरीश वशिष्ठ, रिसर्च एसोसिएट	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
93.	सुश्री पाची जैन, रिसर्च एसोसिएट	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
94.	सुश्री प्रज्ञा सिंह, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
95.	श्री अभिषेक साह, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
96.	श्रीमती उमा अय्यर रावला, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली

अनुलग्नक II

Panchayati Raj

कार्यक्रम

पंचायत वित्तों पर राज्य पंचायत मंत्रियों एवं राज्य वित्त आयोगों का सम्मेलन

(30 जनवरी, 2018, विज्ञान भवन, नई दिल्ली)

उद्घाटन सत्र		
समय	**विवरण**	**सुविधाकर्ता/वार्ताकार**
9.30 - 10.00 पूर्वाह्न	**पंजीकरण**	
10.00-10.05 पूर्वाह्न	दीप प्रज्जवलन एवं माननीय मंत्री, एमओपीआर का स्वागत	
10.05-10.10 पूर्वाह्न	स्वागत संबोधन	एएस
10.10-10.25 पूर्वाह्न	एफसी, आरजीएसए पर एमओपीआर द्वारा प्रस्तुति आदि	एसपीआर
10.25-10.35 पूर्वाह्न	अध्यक्ष का संबोधन	माननीय राज्य मंत्री (पीआर)
10.35-10.55 पूर्वाह्न	उद्घाटन संबोधन	माननीय मंत्री, एमओपीआर
10.55-11.00 पूर्वाह्न	धन्यवाद प्रस्ताव	संयुक्त सचिव (एसकेपी)
11.00-11.02 पूर्वाह्न	**शहीद दिवस के अवसर पर दो मिनट का मौन**	
11.02-11.15 पूर्वाह्न-दोपहर	**चाय**	

<u>तकनीकी सत्र : 1</u>

<u>पंचायत वित्तों पर राज्य सरकारों के परिप्रेक्ष्य</u>

माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा अध्यक्षता

सत्र का सार-संक्षेप:

सत्र में पंचायतों को सौंपे गए कार्यों और संसाधनों (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय) आवश्यकता एवं राज्यों में संघ वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के अनुभव पर चर्चा की जाएगी

11.15-12.30 पूर्वाह्न	भाषण	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायत मंत्रियों की सहभागिता
12.30-12.45 दोपहर	चर्चा/ सारांशीकरण	माननीय पंचायती राज मंत्री
12.45-1.30 दोपहर	**भोजनावकाश**	

<u>तकनीकी सत्र : 2</u>

<u>पंचायत वित्तों पर राज्य वित्त आयोगों के परिप्रेक्ष्य</u>

अपर सचिव द्वारा अध्यक्षता

सार-संक्षेप

सत्र में पंचायतों को अंतरणों के लिए राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और संघ वित्त आयोग के सुझावों पर चर्चा की जाएगी

1.30-3.00 अपराह्न	प्रस्तुतीकरण	एसएफसी अध्यक्ष / सदस्य
3.00-3.15 सायंकाल	खुली वार्ता/ सारांशीकरण	
3.15-3.30 सायंकाल	**चाय अवकाश**	

तकनीकी सत्र : 3

समापन सत्र

पंचायत वित्तों पर पंद्रहवें वित्त आयोग हेतु सुझाव

इस सत्र में सहभागियों से खुली वार्ताओं के माध्यम से सुझाव मांगे जाएंगे जिसके बाद अंतिम टिप्पणियां की जाएंगी

3.40-4.00 सायंकाल	तकनीकी सत्रों के चर्चाओं का सारांशीकरण सत्र I, II & III	अपर सचिव (बीपी)
	अध्यक्ष का संबोधन	एसपीआर
4.45-4.55 सायंकाल	मुख्य अतिथि का भाषण	एमपीआर
4.55-5.00 सायंकाल	धन्यवाद प्रस्ताव	संयुक्त सचिव (एसकेपी)

*****